

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दां0प्र0क0-46 / 09
संस्था0दि0 17 / 02 / 09
फाईलिंग नं.233504000052009

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

-: **विरुद्ध :-**

1. राजा पिता परसराम नहाल, उम्र 32 वर्ष, (फरार)
2. श्रीराम उर्फ सिरी पिता घुड़िया, उम्र 34 वर्ष,
जाति नहाल, पेशा मजदूरी, नि0ग्राम तिरमउ,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्तगण**

-: **निर्णय :-**

(आज दिनांक- 21 / 10 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त श्रीराम के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 458, 294, 324, 506 भाग-2 के तहत अभियोग है कि दिनांक 28.01.09 के रात्रि 09:00 बजे उपहति, हमला या सदोष की तैयारी के पश्चात् फरियादी किरणबाई नाहाल के घर प्रवेश कर रात्रोपृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी किरणबाई को माँ बहन की अश्लील गालियाँ शब्द उच्चारित कर दुसरो को क्षोभ कारित किया, आपने सह आरोपी सिरी के साथ मिलकर फरियादी किरणबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में आरोपी सिरी ने किरणबाई की खतरनाक धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की और फरियादी किरणबाई को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम तिरमउ में रहती है तथा मजदूरी करता है। कल शाम को वह घर बकरी चरा कर आई तो उसे मोहन नाई ने बताया कि उसके लड़के लक्ष्मण को राजा नहाल ने आज दिन में मारा। उसने राजा से उसके घर के सामने जाकर बोला कि उसके छोटे लड़के का उसने क्यों मारा, इतना कहकर वह घर आ गई। रात में करीब 9 बजे घर में खाना बना रही थी कि राजा नहाल और सिरी नहाल उसके घर में घुस गये और उसे माँ बहन की नंगी-नंगी गालियाँ दी और उसे राजा ने मारा और पकड़ लिया तो सिरी ने

उसे चाकू मारा तो उसने बांये हाथ (उंगली) अड़ा दी, तो उसके बांये हाथ की हथेली में चाकू लगा। जिससे खून निकलने लगा, वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी, तो संतोष गोंड और मोहन नाई बीच बचाव किया, तो राजा और सिरी ने कहा कि आज बच गई है, अब कभी दुबारा बात करेगी तो जान से मार डालेंगे और उसके घर से भाग गये, उसका पति काम से घर वापस आया, तब झगड़े की बात बताई रात होने से वह रिपोर्ट करने नहीं आई, सबेरे उसकी माँ मैसोबाई को झगड़े की बात बताई।

3— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 तैयार किया गया है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अप0कं0-53/09 भा.द.सं धारा-452, 294, 323, 506, 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 01/02/09 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया गया। दिनांक 04/02/09 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 04 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। दिनांक 04/02/09 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 06 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— —: न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 28.01.09 के रात्रि 09:00 बजे उपहति, हमला या सदोष की तैयारी के पश्चात् फरियादी किरणबाई नाहाल के घर प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया?”

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी किरणबाई को माँ बहन की अश्लील गालियाँ शब्द उच्चारित कर दुसरी को क्षोभ कारित किया?

3— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सह आरोपी सिरी के साथ मिलकर फरियादी किरणबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में आरोपी सिरी ने किरणबाई की खतरनाक धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

4— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी किरणबाई को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1, 3 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी किरणबाई (अ.सा.-01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी राजा और श्री मिले और बोले कि उसने उसके माँ बाप को कुछ बोला तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं बोला वह फिर घर चली गई तो फिर दोनों आरोपी

उसके पिछे पिछे आए और उसके घर में घुसकर उसके साथ मापीट की। सिरी ने लकड़ी से उसके घर में घुसकर दांहिने कंधे पर मारा था। और उसका साला राजा ने एक लकड़ी पीठ पर मारी और हाथ में चाकू मारा था जिससे उसका पंजा कट गया था जिससे खून बह रहा था। उक्त साक्ष्य का समर्थन मैसोबाई (अ.सा.-03), ललिताबाई (अ.सा.-04) ने भी किया है।

7— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण एवं उसके परिवार वालों से लड़की मांगने के उपर से बहुत पुराने समय से रंजिश चली आ रही है। अर्थात् आरोपीगण एवं फरियादी के बीच रंजिश है। अर्थात् फरियादी अभियुक्त सिरी को झूठा फंसा भी सकती है और अभियुक्त सिरी उर्फ श्रीराम मार भी सकता है। क्योंकि रंजिश दुधारी तलवार होती है। साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की, वह भूजलिया में से आ रही थी, तब गिर जाने से उसे चोट आई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण घटना स्थल पर मारपीट किए और चले गए कुछ नहीं बोला। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में अस्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण से रंजिश होने के कारण उनकी झूठी शिकायत की थी। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि उसे मारपीट वाली बात नहीं हुई थी। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी किरणबाई के साथ मारपीट की।

8— फरियादी किरणबाई (अ.सा.-01) ने अपनी मुख्य परीक्षा में जो बताया है आरोपी राजा और सिरी मिले और बोले कि उसने उसके माँ बाप को कुछ बोला तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं बोला वह फिर घर चली गई, तो फिर दोनों आरोपी उसके पिछे-पिछे आए और उसके घर में घुसकर उसके साथ मापीट की। सिरी ने लकड़ी से उसके घर में घुसकर दांहिने कंधे पर मारा था और उसका साला राजा ने एक लकड़ी पीठ पर मारी और हाथ में चाकू मारा था, जिससे उसका पंजा कट गया। उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में खंडन नहीं किया है। साथ ही उक्त तथ्य ही सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने के तथ्य को स्पष्ट होते हैं। दोनों आरोपीगण मारपीट करने के आशय से ही साथ आए हैं और अभियुक्त सिरी उर्फ श्रीराम ने लाठी से तथा अभियुक्त राजा ने चाकू से मारा था।

9— बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में ऐसे कोई तथ्य नहीं लाए हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि फरियादी किरणबाई के साथ अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट नहीं की गई, बल्कि फरियादी किरणबाई के मुख्य परीक्षा के तथ्य ही घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट करते हैं और उक्त तथ्यों को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है।

10— अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ.सा.-04) ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि आहत किरण पति जगदीश का परीक्षण किया था जिसमें चोट कं. 1 बांये हाथ की हथेली पर 2 गुणित 1 गुणित 1 से०मी० आकर का कटा हुआ, घाव पाया गया। चोट कं 2 बांये हाथ की अनामिका उंगली पर 1 गुणित 1 गुणित आधा से०मी० का कटा हुआ घाव पाया गया। उक्त चोट धारदार कड़े एवं बोथरे हथियार से 24 घंटे के अंदर पहुँचाई गई थी। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 8 है

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि व्यक्ति धारदार वस्तु पर गिर जाये तो ऐसी चोट आना संभव है। किन्तु बचाव पक्ष की ओर से फरियादी किरणबाई व अन्य गवाहों के प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि फरियादी धारदार वस्तु पर गिरी थी जिसके कारण उसे चोट कारित हुई। बल्कि इस गवाह के द्वारा जो चोट कं 1 व 2 कटा हुआ, घाव बताया गया है उक्त तथ्य ही धारदार चाकू से आना स्पष्ट करते हैं।

11— अभियोजन साक्षी मैसोबाई (अ.सा.—03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि राजा एवं सिरी घर के अंदर घुसकर उसकी लड़की को चाकू से मारा था जो उसने तथा उसकी लड़की ललिताबाई ने छुड़ाया था, उसकी लड़की को बांये हाथ में चाकू लगा था। उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में कोई खंडन नहीं किया गया है और उक्त तथ्य ही अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में चाकू से मारने के तथ्य को स्पष्ट करते हैं।

12— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में अस्वीकार किया है कि उसकी लड़की के साथ अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना के बारे में उसकी लड़की ने बताई है। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि घटना उसके सामने की है और उसने बीच बचाव किया है। साथ ही फरियादी किरणबाई (अ.सा.—01) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 स्वीकार किया है कि उक्त घटना के संबंध में उसकी माँ बहन के अलावा और किसी को नहीं बताया था। अर्थात् इस गवाह ने अपनी माँ एवं बहन को भी बताया। साथ ही इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगणों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में चाकू से मारपीट की गई।

13— अभियोजन साक्षी ललिताबाई (अ.सा.—04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण नीचे मोहल्ले से आए और किरणबाई के घर के अंदर घुसकर मारपीट की और बाहर निकलकर चाकू से मारपीट की थी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि घटना उसके सामने की है। घटना में उसने छुड़वाया था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि आरोपीगण आए और आरोपीगण किरणबाई के घर के अंदर मारपीट की और बाहर निकलकर चाकू से मारपीट की थी। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के कथनों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सिरी उर्फ श्रीराम के द्वारा अभियुक्त राजा के साथ मिलकर चाकू से मारपीट की, जो कि स्वेच्छया उपहति को स्पष्ट करता है।

14— अभियोजन साक्षी फरियादी किरणबाई (अ.सा.—01), अभियोजन साक्षी मैसोबाई (अ.सा.—03), अभियोजन साक्षी ललिताबाई (अ.सा.—04) उक्त तीनों गवाहों ने घर के अंदर घुसकर मारपीट करने के तथ्यों को बताया है। किन्तु स्वयं फरियादी ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त घटना उसके मकान के झोपडी के अंदर की नहीं है घर के बाहर झोपडी के आंगन के सामने की है। इस प्रकार स्वयं फरियादी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि फरियादी किरणबाई के घर में प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार

कारित नहीं किया गया।

15— अभियोजन साक्षी संतोष (अ.सा.—02), अभियोजन साक्षी भगवतराव (अ.सा.—05), अभियोजन साक्षी भोलालाल (अ.सा.—06), अभियोजन साक्षी माखन (अ.सा.—07) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है।

16— अभियोजन साक्षी नंदकिशोर मिश्रा (अ.सा.—09) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 01/02/09 को घटना स्थल पर जाकर प्रार्थीया की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 04/02/09 को आरोपी श्रीराम के कब्जे से एक सब्जी काटने का चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी दिनांक को आरोपी राजा एवं श्रीराम का गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 5 एवं 6 तैयार किया था जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने प्रार्थीया किरणबाई, संतोष, मैसोबाई, ललिताबाई, मोहन के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था जिसमें उसने अपने मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। उसने ए0एस0 आई बरकले के साथ लगभग देड वर्ष तक कार्य किया है। वह उनकी हस्तलिपि व हस्ताक्षर से परिचित है। प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उनकी हस्तलिपि में है जिनके बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

17— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल का नक्शा मौका थाने में बैठकर बनाया था। घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 को फरियादी ने अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 के साक्षी भगवतराव (अ.सा.—05) एवं माखन (अ.सा.—07) ने ए से ए भाग तथा बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। बचाव पक्ष के द्वारा ऐसे तथ्य भी नहीं लाए हैं कि उक्त जप्ती पत्रक के साक्षियों को डरा या धमका कर विवेचना अधिकारी के द्वारा जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 पर हस्ताक्षर करा लिया गया है। बल्कि यही माना जायेगा कि विवेचना अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह कार्यवाही विश्वसनीय प्रतीत होती है। क्योंकि कथन देने के तथ्यों का समर्थन किरणबाई (अ.सा.—01), मैसोबाई (अ.सा.—03), ललिताबाई (अ.सा.—04) ने कथन देने के तथ्यों का समर्थन किया है और बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में भी ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि जिससे विवेचना अधिकारी के द्वारा की कार्यवाही को अविश्वास किया जा सके।

18— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने उपहति, हमला या सदोष की तैयारी के पश्चात् फरियादी किरणबाई नाहाल के घर प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आपने सह आरोपी राजा के साथ मिलकर फरियादी किरणबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में आरोपी सिरी ने किरणबाई की खतरनाक धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण 'अप्रमाणित' रूप से किया जाता है एवं विचारणीय प्रश्न कं. 3 का निराकरण 'प्रमाणित' रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 2 एवं 4 का निराकरण

19— अभियोजन साक्षी किरणबाई (अ0सा01) ने अपने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि दोनों आरोपीगण ने उसे माँ बहन की गालियाँ दी थी। किन्तु आरोपीगण ने किस प्रकार की अश्लील गालियाँ दी थी यह नहीं बताया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त सिरी उर्फ श्रीराम ने फरियादी किरणबाई को अश्लील गालियाँ दी जिससे उसे क्षोभ कारित हुआ हो। अभियोजन साक्षी किरणबाई (अ0सा01) ने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने यह बोला था कि आज तो बच गई आगे बोलेगी तो जान से खतम कर देंगे। किस प्रकार की धमकी दी जिससे उसे आपराधिक अभित्रास कारित हुआ, यह नहीं बताया है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 2, 4 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

20— उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने उपहति, हमला या सदोष की तैयारी के पश्चात् फरियादी किरणबाई नाहाल के घर प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त सिरी उर्फ श्रीराम को भा0द0वि0 की धारा 458 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित है कि अभियुक्त ने आपने सह आरोपी राजा के साथ मिलकर फरियादी किरणबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में आरोपी सिरी ने किरणबाई की खतरनाक धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त सिरी उर्फ श्रीराम को भा0द0वि0 की धारा 324 के अपराध के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

21— उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी किरणबाई को माँ बहन की अश्लील गालियाँ शब्द उच्चारित कर दुसरी को क्षोभ कारित किया। उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी किरणबाई को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त सिरी उर्फ श्रीराम को भा0द0वि0 की धारा 294 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आमला, जिला बैतूल म0प्र0

22— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रमेश नागपुरे द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त गरीब व

निर्धन व्यक्ति है उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान करते हुये कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया, इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.ड.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

23— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया। अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 324 के अपराध में दोषसिद्ध किया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त को परिवीक्षा अवधि का लाभ प्रदान किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण नहीं होती है। अभियुक्त को सश्रम कारावास से भुगताये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त सिरी उर्फ श्रीराम को भा0द0वि0 की धारा 324 के अपराध के आरोप में 6 (छैः) माह के सश्रम कारावास से भुगताया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

24— अभियुक्त रिमांड या विचारण के दौरान उपजेल मुलताई में निरुद्ध रहा हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के अंतर्गत मुजरा की जावे।

25— प्रकरण में आरोपी राजा फरार है। प्रकरण नष्ट न किया जावे। प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से आरोपी राजा फरार है कि टीप अंकित की जावे।

26— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस प्रकरण में आरोपी राजा फरार है।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया
गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0